डीजी परिपत्र संख्याः- ८३ /2018

चन्द्र प्रकाश
आई.पी.एस.

अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः अप्रैल 23 ,2018

प्रिय महोदय,

विगत में कई जनपदों में बैंक/एटीएम कैश वैन लूट की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुख्यालय द्वारा बारम्बार दिशा-निर्देश दिये जाने के पश्चात भी बैंकों की सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में समुचित प्रभावी कदम नही उठाये जा रहे हैं।

परिपत्र संख्याः-एडीजी-20/2003 दि0 16.12.03
परिपत्र संख्याः-डीजी-7-एस-6-52(9)/2015 दि0 05.09.05
परिपत्र संख्याः-डीजी-20/06 दि0 08.06.06
परिपत्र संख्याः-एडीजी-01/2008 दि0 07.01.08
परिपत्र संख्याः-एडीजी-87/2008 दि0 14.09.08
परिपत्र संख्याः-डीजी-7-एस-6-(87)/2009 दि0 26.03.09
परिपत्र संख्याः-डीजी-7-एस-6-2ए(बैंकर्स समिति बैठक)/2016 दि0 12.09.17

जैसा कि आप विदित हैं कि बैंकों में लूट/डकैती/चोरी/कैश वैन लूट की घटनाओं के कारण न केवल राष्ट्र की आर्थिक क्षति होती है वरन् जनसामान्य में असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है। बैंक से सम्बन्धित घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जहॉ बैंक द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, वहीं पुलिस का भी बैंको की सुरक्षा का दायित्व होता है, इस निमित्त उभयपक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही कराया जाना आवश्यक हैः-

- प्रायः यह पाया गया है कि बैंक के कार्य दिवस में एक सशस्त्र गार्ड उपलब्ध रहता है किन्तु रात्रि एवं अवकाशकाल में कोई सशस्त्र गार्ड नहीं रहता है तथा गार्ड व्दारा ड्यूटी आफ होने के पश्चात् शस्त्र स्ट्रॉग रूम में रख दिया जाता है, जिसकी चोरी होने की सम्भावना बनी रहती है ।
- बैंक बिल्डिंग की खिड़की/ग्रिल आदि मजबूत किस्म की लगायी जाये, ताकि कोई भी आसानी से इन्हें तोड़कर बैंक परिसर में प्रवेश न कर सके।
- बैंक के भीतर अलार्म सिस्टम चालू हालत में लगा होना चाहिए जिसको बैटरी बैकअप भी दिया जाये तथा इसे सप्ताह में एक बार चेक भी किया जाये। बैंकों की रात्रि सुरक्षा के लिए उनमें ऐसे सेन्सर्स लगाये जाये, जो इमरजेन्सी के समय अलार्म बजा सके ।
- बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को बैटरी बैकअप दिया जाये तथा इसे ऐसे स्थान पर व्यवस्थित किया जाये, जिसे आसानी से कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त अथवा हटा न सके साथ ही बैंक के अन्दर व बाहर के परिदृश्य भी साफ दिखाई दे ।
- बैंक के भीतर पावर सप्लाई हेतु कन्सील्ड वायरिंग की जाये, ताकि अपराधिक तत्वों द्वारा आसानी के साथ पावर सप्लाई को बाधित न किया जा सके।
- बैंक शाखा में आने वाले ग्राहकों को बिना बैंक आईडी (पासबुक/चेकबुक/चालान बुक) के प्रवेश न करने दिया जाये।

- स्थानीय पुलिस द्वारा अवकाश के दिनों में विशेष कर रात्रि के समय सभी बैंकों की चेकिंग की जाये, यदि बैंक में सुरक्षा गार्ड नियुक्त हों तो उसका कुशलक्षेम ज्ञात किया जाये ।
- बैंक की लूट/डकैती/चोरी से सम्बन्धित अपराधियों के जेल से रिहा होने पर उनकी गतिविधियों की निगरानी की जाये।
- प्रत्येक थाने क्षेत्रों में पड़ने वाले बैंकों के प्रबन्धकों के साथ नियमित बैठक की जाये एवं बैंको में नियुक्त गार्ड के शस्त्रों को नियमित रूप से साफ-सफाई एवं चेक किया जाये,यदि कारतूस पुराने हो गये हो तो उन्हें शस्त्र अभ्यास में प्रयोग कराया जाये तत्पश्चात् सम्बन्धित बैंक व्दारा उन्हें नये कारतूस उपलब्ध कराये जाये ।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी बैंक शाखाओं के कर्मचारियों की मेज के शीशे के नीचे/बैंक में दृश्य स्थान पर जनपदीय पुलिस से सम्बन्धित सभी आवश्यक फोन नम्बर लिखे जायें।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि बैंक के सभी सशस्त्र गार्ड के पास सीटी अवश्य हो।
- बैंक सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी को ऐसी जगह तैनात किया जाये, जहाँ से वह बैंक के अन्दर/बाहर के सम्पूर्ण परिदृश्य को सुगमता के साथ देख सके तथा उसकी निगरानी कर सके एवं आवश्यकतानुसार अन्य प्रभावी कार्यवाही तत्परता के साथ कर सके। समय-समय पर सुरक्षाकर्मी को अपनी ड्यूटी में सदैव सतर्क रहकर ड्यूटी करने की हिदायत भी दी जाये।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें, कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में पड़ने वाले सभी बैंक के शाखा प्रबंधकों से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, ताकि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लग सके।

सस्नेह,

भवदीय,

23/5/18

(चन्द्र प्रकाश)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं उ0प्र0।